निदेशालय के विभिन्न प्रकोष्ठ व उनकी मुख्य गतिविधियां

स्थानीय नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नगर निकायों द्वारा सम्पादित की जा रही अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश व प्रक्रिया आदि जारी किए जाने, उनकी पालना कराने एवं उनकी मोनिटरिंग किये जाने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन व निष्पादन हेतु निदेशालय में निम्न प्रकोष्ठ कार्य कर रहे है :–

(क) संस्थापन
(ख) भूमि प्रकोष्ठ।
(ग) परियेाजना प्रकोष्ठ।
(घ) अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ।
(ड) लेखा प्रकोष्ठ।
(च) नगर पालिका संस्थापन प्रकोष्ठ (एस.एम.ई)।
(छ) सांख्यिकी प्रकोष्ठ।
(ज) सतर्कता प्रकोष्ठ।
(झ) विधि प्रकोष्ठ।
(ञ) विविध प्रकोष्ठ।
(ट) विधानसभा प्रकोष्ठ।
(ठ) जन–सम्पर्क प्रकोष्ठ।
(ड) मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ।
(ढ) नगर नियोजन प्रकोष्ठ।
(ण) जलापूर्ति प्रकोष्ठ

इसके अलावा कुछ गतिविधियों का निष्पादन 7 संभाग मुख्यालयों पर स्थापित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों के द्वारा संपादित किये जा रहे मुख्य–मुख्य कार्यो एवं गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) संस्थापन प्रकोष्ठ :– संस्थापन के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक है। इनके द्वारा निम्न कार्य देखे जा रहे हैं :–

(i) राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों का संस्थापन (आर.एम.एस.)

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक है। इस प्रकोष्ठ में राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों–आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी–II, अधिशाषी अधिकारी–III, अधिशाषी अधिकारी–IV, राजस्व अधिकारी–I, राजस्व अधिकारी–II, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी (चयनित, वरिष्ठ व साधारण वेतन श्रृंखला) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, कर–निर्धारक, संयुक्त/सहायक

विधि परामर्शी एवं विधि अधिकारी के पदों से संबंधित संस्थापन, पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति तथा भर्ती संबंधी कार्य संपादित किये जाते है।

वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	माध्यम
1.	आयुक्त (41–RMS+5-RAS)	41	04	37	पदौन्नति
2.	अधिशाषी अधिकारी–II/सचिव	51	38	13	पदौन्नति
3.	अधिशाषी अधिकारी–III	58	12	46	पदौन्नति
4.	अधिशाषी अधिकारी–IV	79	60	19	सीधी भर्ती
5.	राजस्व अधिकारी–प्रथम	26	04	22	पदौन्नति
6.	राजस्व अधिकारी–द्वितीय	79	74	05	सीधी भर्ती
7.	वित्तीय सलाहकार	06	0	06	प्रतिनियुक्ति
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	05	05	00	पदौन्नति
9.	लेखाधिकारी	23	03	20	पदौन्नति
10.	सहायक लेखाधिकारी	36	01	35	पदौन्नति
11.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	05	04	01	पदौन्नति
12.	अग्निशमन अधिकारी	24	09	15	पदौन्नति
13.	स्वास्थ्य अधिकारी (च.वे.श्रृ.)	05	01	04	पदौन्नति
14.	स्वास्थ्य अधिकारी (व.वे.श्रृ.)	05	03	02	पदौन्नति
15.	स्वास्थ्य अधिकारी (सा.वे.श्रृ.)	32	00	32	सीधी भर्ती
16.	चिकित्सा अधिकारी	07	00	07	सीधी भर्ती
17.	उप पुलिस अधीक्षक	01	00	01	प्रतिनियुक्ति
18.	उप विधि परामर्शी	01	00	01	प्रतिनियुक्ति
19.	संयुक्त विधि परामर्शी	01	00	01	प्रतिनियुक्ति
20.	सहायक विधि परामर्शी	15	00	15	पदौन्नति
21.	विधि अधिकारी	08	00	08	पदौन्नति
22.	कर निर्धारक	65	31	34	50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत पदौन्नति
23.	जन सम्पर्क अधिकारी	01	01	00	100 प्रतिशत पदौन्नति से
24.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	01	00	01	
25.	पशु चिकित्सा अधिकारी	06	00	06	प्रतिनियुक्ति
26.	स्वास्थ्य अधिकारी (द्वितीय)	15	00	15	100 प्रतिशत पदौन्नति

	योग	**591**	**250**	341	

(I) आयुक्त के कुछ पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिशाषी अधिकारी, तृतीय, राजस्व अधिकारी–प्रथम, स्वास्थ्य अधिकारी (चयनित) स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ), लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आयुक्त, वरिष्ठ लेखाधिकारी, कर निर्धारक व स्वास्थ्य अधिकारी (व.वे.श्रृं) के पदों की वर्ष 2017–18 तक डी.पी.सी. की जा चुकी है।

(ii) राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा तथा राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों का संस्थापन (आर.एम.एस.टी)

इस प्रकोष्ठ में राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अभियन्ता – मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता पद (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सहायक नगर नियोजक एवं राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) नगर नियोजन सहायक, वरिष्ठ प्रारूपकार व प्रारूपकार पदों से संबंधित संस्थापन, पदस्थापन, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण तथा सीधी भर्ती से नियुक्ति संबंधी आदि कार्य संपादित किये जाते हैं।

वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

राजस्थान नगर निकायो के अभियांत्रिकी संवर्ग के पदो का विवरण

क्रं.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	माध्यम
1.	मुख्य अभियन्ता	2	2	–	पदोन्नति
2.	अति. मुख्य अभियंता (सिविल)	2	2	–	पदोन्नति
3.	अति. मुख्य अभियंता (विद्युत)	1	1	–	पदोन्नति
4.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	14	11	3	पदोन्नति
5.	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	4	1	3	पदोन्नति
6.	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी)	2	1	1	पदोन्नति
7.	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	61	55	06	पदोन्नति
8.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)	14	04	10	पदोन्नति
9.	अधिशाषी अभियन्ता (मेकेनिकल)	09	01	08	पदोन्नति

10.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	229	127	98	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
11.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	33	18	15	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
12.	सहायक अभियन्ता (मेकेनिकल)	19	13	06	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
13.	कनिष्ठ अभियन्ता/अभियांत्रिकी अधीनस्थ (सिविल)	545	480	65	100% सीधी भर्ती
14.	कनिष्ठ अभियन्ता/अभियांत्रिकी अधीनस्थ (मेकेनिकल)	31	14	17	JEN सीधी भर्ती ES पदौन्नति
15.	कनिष्ठ अभियन्ता/ अभियांत्रिकी अधीनस्थ (विद्युत)	92	60	32	JEN सीधी भर्ती ES पदौन्नति
16.	सहायक नगर नियोजक	41	25	16	75% सीधी भर्ती 25% पदोन्नति
17.	नगर नियोजक सहायक	20	18	02	100% सीधी भर्ती
18.	वरिष्ठ प्रारूपकार	26	21	05	100% सीधी भर्ती

(III) राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही (आर.एम.एस.जॉच) :– आर.एम.एस. (जांच) अनुभाग के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय है। जांच अनुभाग में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते है, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

आर.एम.एस. (जांच) अनुभाग में राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों एवं राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते है, जिनमें सीसीए नियम–16/17 में आरोप पत्र जारी करना। सीसीए नियम–16 की जांच में विस्तृत जांच किये जाने हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति करना एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना, इसके साथ ही निलम्बन एवं बहाली सम्बन्धी कार्य भी सम्पादित किये जाते है दिनांक 01.01.18 से 31.12.18 तक सीसीए नियम 16 में 10 एवं सीसीए नियम–17 में लगभग

150 अधिकारी/कर्मचारियों को आरोप पत्र दिये गये है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रकरणों में (10) व अन्य प्रकरणों में (3) अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित किये गये है, जिनका मुख्यालय निदेशालय एवं सम्बन्धित उप निदेशक क्षैत्रीय कार्यालय में रखा गया है।

(ii) संस्थापन निदेशालय

निदेशालय के अधीन आयोजना एवं आयोजना भिन्न मदों के अंतर्गत स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों के कुल पदो का विवरण निम्नानुसार है :–

पद	आयोजना भिन्न	आयोजना
राजपत्रित	40	19
अराजपत्रित	104	28

निदेशालय में आयोजना भिन्न मद में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों (मय DD(R) सहित) का संस्थापन कार्य इसी प्रकोष्ठ द्वारा देखा जा रहा है। उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्गीकृत पदों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट–II पर उपलब्ध है।

(ख) भूमि शाखा :– भूमि शाखा के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक निदेशालय है। भूमि अनुभाग में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते है :–

राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत खांचा भूमि, स्कूलों, सार्वजनिक संस्थाओं, केन्द्रीय/राजकीय कार्यालयों व आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन/विक्रय के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार को स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाकर निस्तारित कराये जाते हैं। नगर निकायों में कच्ची बस्ती सर्वे एवं कृषि भूमि नियमन से संबंधित कार्यो का निस्तारण इस अनुभाग से किया जाता है। नगर पालिकाओं के भूमि सम्बंधी प्रकरणों में मार्गदर्शन, भूमि अवाप्ति व अवाप्ति से मुक्ति का कार्य, मंत्रीमण्डलीय उपसमिति में प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा तैयार करना, स्टेट ग्रान्ट एक्ट, अतिक्रमण नियमन के सम्बंध में नीति तैयार करना एवं मार्गदर्शन करना आदि कार्य किये जाते है।

अन्नपूर्णा रसोई
Annapurna Rasoi
Local Self Government Department
Government of Rajasthan

(ग) परियोजना प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1989 में की गयी थी। वर्तमान में इसके प्रभारी अधिकारी परियोजना निदेशक है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही योजनाओं यथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM), व शहरी जन सहभागी योजना का क्रियान्वयन तथा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास परियोजना, राजीव आवास योजना, लघू एवं मध्यम कस्बों में आधारभूत ढाचाँ विकास योजना, अमृत योजना तथा स्मार्टसिटी आदि के अंतर्गत

केन्द्र/राज्य सरकार से राशि प्राप्त कर कार्यकारी एजेंसियो को आवंटित करना, योजनाओं की क्रियान्विति में आने वाली समस्याओं के निराकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उच्च स्तरीय नीति निर्धारण समिति एवं उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति/ राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करना, राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को भिजवाना, शहरी विकास मंत्रालय व आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं हेतु अधिकारियों व जनप्रतिनियो का मनोनयन करना है।

परियोजना निदेशक के सहयोग हेतु 1 संयुक्त निदेशक (प्लान) व एक वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्लान) कार्यरत हैं। योजना मद के अंतर्गत स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारियों के संस्थापन का कार्य भी इसी प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(घ) अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ :–

नगरीय निकायों को उनके विकास कार्यों, ESCO आधारित लाईटों का संधारण व रख–रखाव तथा सेनिटेशन हेतु तकनीकी राय देने, निदेशक, स्थानीय निकाय के पास स्वीकृति हेतु प्राप्त निविदा आदि का परीक्षण कर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने संबंधी कार्यवाही तथा निर्माण कार्यों के संदर्भ में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच करने व अभियांत्रिकी सेवाओं में सुधार लाने आदि के लिये इस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1979 में की गयी थी। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी मुख्य अभियंता है। इनके सहयोग हेतु अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियंता का पद मुख्यालय पर है। आवश्कतानुसार निकायों से अभियन्ता लिये जाकर विकास कार्य एवं अन्य योजनाओं का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकोष्ठ द्वारा देखे जा रहे अन्य प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैः–

विभागीय SoP के अनुसार निकायों के तकनीकी अनुमानों की स्वीकृति तथा निकायों से प्राप्त तकनीकी प्रकरणों का परीक्षण कर स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु अभिशंषा करना इत्यादि समस्त प्रकार के तकनीकी कार्य सम्पादित किये जाते है। बाढ/ अतिवृष्टि से हुयी क्षति से संबंधित कार्य, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार्य, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, नगर पालिकाओं द्वारा वितीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में तकनीकी परीक्षण, नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के संबंध में आने वाली कठिनाईयों बाबत परामर्श, भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त तकनीकी मामलों का संधारण, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबन्धन, बी.ओ.टी. आधारित योजना से संबंधित कार्य, मुक्तिधाम योजना, शहरी पुनर्रूद्धार योजना, वर्षा जल संरक्षण का कार्य, राज्य स्तर पर ई–टेण्डरिग का कार्य, पर्यावरण संरक्षण व सुधार, सीवरेज लाईन व सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कार्य, सोलर ऊर्जा उत्पादन, स्ट्रीट लाईटों में सुधार, बिजली बचत के कार्य आदि।

(ड़) लेखा प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार है, इनके अधीन निदेशालय मुख्यालय पर दो वरिष्ठ लेखाधिकारी, 2 लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार कार्यरत हैं।

लेखा शाखा द्वारा निर्बन्ध अनुदान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनुदान, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान, तेरहवें व चौदहवे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान एवं चुंगी पुनभर्रण हेतु अनुदान की स्वीकृतियां जारी की जाती है। निदेशालय लेखा शाखा द्वारा नगर निगमों/परिषद्ों/पालिकाओं के क्रय, बजट एवं वित्त व लेखा सम्बन्धी ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन/स्वीकृतियां भी जारी की जाती हैं, जो इन संस्थाओं को प्रदत्त अधिकारों से अधिक हो।

लेखा शाखा द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदान के लेखों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि का संधारण कार्य किया जाता है तथा 14 वे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्रीय सरकार को भिजवाये जाते हैं। महालेखाकार के अंकेक्षण आक्षेप एवं ड्राफ्ट पैरा संबंधी कार्य निष्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं द्वारा की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच समय–समय पर कराई जाती है तथा नगर निकायों का स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, उन अंकेक्षण रिपोर्टों की पालना भी इस शाखा द्वारा करायी जाती है

(च) नगर पालिका प्रस्थापना प्रकोष्ठ (एस.एम.ई.) :–

इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) हैं। इनके द्वारा निम्न कार्य देखे जा रहे हैं :–

1. राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियमों 1963 के अंतर्गत विभिन्न नगर निगम/परिषद/पालिका मे कार्यरत अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के सभी कर्मचारियों के प्रस्थापना संबंधी प्रकरणों का निस्तारण/आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना।
2. राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 1964 के अंतर्गत समस्त नगर निकायों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारियों के प्रस्थापना संबंधी प्रकरणों का निस्तारण व प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना।

3. उक्त दोनों संवर्गों के स्थानान्तरण संबंधी प्रकरण।
4. राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से प्राप्त मांग पत्रों का निस्तारण, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का कार्य आदि।

(छ) सांख्यिकी प्रकोष्ठ :–

विभाग की वार्षिक योजना व पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को समेकित कर विभाग की पंचवर्षीय व वार्षिक योजना तैयार कर आयोजना विभाग को भिजवाना, निदेशालय के योजना से संबंधित प्रकोष्ठों से वित्तीय/भौतिक प्रगति प्राप्त कर आयोजना विभाग में आयोजित बैठकों में भाग लेना। नगर निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आंकडों का संकलन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना, विशिष्ट संघठक योजना एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजना के प्रस्ताव तैयार करना तथा उनके वित्तीय भौतिक उपलब्धियों की सूचना संबंधित विभाग को प्रेषित करना, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण संबंधित टिप्पणी तैयार करना तथा इनकी अनुपालना रिपोर्ट मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं वित्त विभाग, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित करना, राज्य स्तरीय आयोजना समन्वय समिति की बैठक, जिला आयोजना की मानिटरिंग आदि कार्य देखे जाते हैं। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी सहायक निदेशक (सॉख्यिकी) का पद समाप्त कर दिया गया है। आयोजना मद में नवीन सृजित पद उप निदेशक (सांख्यिकी) को इस प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। इनके अधीन एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं 2 संगणक कार्यरत है।

(ज) सतर्कता प्रकोष्ठ :–

विभाग में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रभारी सहायक निदेशक (सतर्कता) हैं, जिनके अधीन दो कार्यालय अधीक्षक कम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, 1 सहायक कार्यालय अधीक्षक एवं 01 लिपिक ग्रेड–II कार्यरत है।

सतर्कता प्रकोष्ठ में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व एवं चुने हुये जनप्रतिनिधियों के विरूद्व लोकायुक्त सचिवालय एवं अन्य माध्यमों से शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जनप्रतिनिधियों के विरूद्व शिकायतों की नियमानुसार जांच करायी जाकर दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा–39 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर, उन्हें निलंबित कर या सीधे ही प्रकरण न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को भिजवाया जाता है। न्यायिक जांच में आरोप सिद्ध होने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39, 40 व 41 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जनप्रतिनिधि को सदस्यता तथा चुनाव लडने के अयोग्य घोषित किया जाता है। वर्ष 2018–19 (31 दिसम्बर 2018 तक) में 6 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निलम्बित किया गया एवं 6 निर्वाचित सदस्यों के प्रकरण न्यायिक जांच में भिजवाये गये। सतर्कता अनुभाग में ही जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व एसीबी से प्राप्त

प्रकरण भी संधारित किये जाते है तथा दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति जारी की जाती है। 01 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी है।

(झ) विधि प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी हैं व इनके सहयोग हेतु सहायक विधि परामर्शी 1 (रिक्त), वरिष्ठ विधि अधिकारी 1, कनिष्ठ विधि अधिकारी 2, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 2 (1 रिक्त) व 02 लिपिक ग्रेड–1 कार्यरत है। विधि अनुभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय न्यायिक अभिकरणो, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं जोधपुर पीठ व अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार तथा नगर पालिकाओं /नगरीय निकायों के विरूद्व दायर याचिकाओं/दावों के संबंध में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति/अधिवक्ता नियुक्त करने एवं पर्यवेक्षण, परामर्श, परीक्षण का कार्य पेनल अधिवक्ता/विधि सलाहकारों की नियुक्ति, अन्य अनुभागों द्वारा प्राप्त पत्रावलियों पर राय देने, जन प्रतिनिधियों के विरूद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अन्तर्गत जांच कार्य में विभागीय पैरवी का कार्य करवाया जाता है।

विधि अनुभाग द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन व अन्य नियमों में संशोधन सम्बधी समस्त कार्य किया जाता है। प्रशासनिक विभाग के अधीन समस्त अधिनियमों/नियमों का प्रारूपण एवं उनमें समय– समय पर किये जाने वाले संशोधनो का कार्य भी किया जाता है।

इस अनुभाग द्वारा राजस्थान की 193 नगर निकायों में चुनाव के कार्य वार्डो का आरक्षण, परिसीमन एवं नगरीय निकायों का गठन एवं राजस्थान की समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के सीमा विस्तार एवं संकुचन का कार्य किया जाता है। समस्त निकायों की मंडल बैठकों व समितियों की बैठकों में पारित प्रस्तावों का परीक्षण किया जाता है। नगरीय निकायों में मनोनीत/सहवृत सदस्यों (पार्षद) की नियुक्ति करना/हटाना संबंधित समस्त कार्य। राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित समस्त कार्य। प्रकोष्ठ निदेशक महोदय के समक्ष राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 में प्रस्तुत निगरानियों ओर धारा 194(12)के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलीय पक्षकरो को सूचित किये जाने सम्बन्धी कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

(ञ) विविध प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) है। नगरीय निकाय क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों एवं चौराहों पर मूर्ति स्थापना तथा चौराहों एव रास्तों के नामकरण सम्बन्धी नीति निर्धारण एवं प्रस्तावों पर यथोचित कार्यवाही की जा रही हैं।

(ट) विधान सभा प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) है। प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित व अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित नगर निकायों से प्राप्त कर भिजवाना, विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मंत्री, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति करवाना एवं ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/स्थगन के उत्तर तैयार कर भिजवाना एवम् विधानसभा द्वारा गठित विभिन्न समितियों एवं याचिकाओं के कार्यों की क्रियान्विति करना।

(ठ) जन–सम्पर्क प्रकोष्ठ :–

विभाग के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ में एक जनसम्पर्क अधिकारी पदस्थापित है, इनके द्वारा मुख्य रूप से राज्य सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार, समय–समय पर प्रेस नोट, विज्ञापन, विशिष्ट लेख इत्यादि जारी किये जाते है।

प्रतिदिन राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचारों का अवलोकन उच्च स्तर पर करवाया जाता है। समय–समय पर विभागीय समारोहों एवं बैठकों के कवरेज व विभागीय विज्ञापनों के प्रारूप तैयार कर प्रकाशन करवाया जाता है। प्रेस कान्फ्रेंस एवं प्रेस वार्ताओं के आयोजनो एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में विभागीय भागीदारी निभाई जाती है।

इसके अलावा विभाग में समय–समय पर होने वाले प्रकाशनों हेतु सामग्री तैयार कर उनका मुद्रण करवाना। मंत्री महोदय, शासन सचिव एवं निदेशक द्वारा भिजवाये जाने वाले संदेश तैयार करना तथा मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न समारोह में स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में दिये जाने वाले उद्‌बोधनों के प्रारूप तैयार करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं पत्रकारों कों संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी प्रकार सीएमएआर की गृह पत्रिका का सम्पादन भी किया जाता है। समय–समय पर विभाग के संबंध में प्रकाशित ऋणात्मक समाचारों की रिपोर्ट मंगवाकर उच्च स्तर पर अवलोकनार्थ भेजी जाती है तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यो का सम्पादन व CMO द्वारा प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की जाती है। प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया का प्रबंधन कार्य तथा इलेक्ट्रिक मिडिया में विज्ञापन बनवाकर जारी करवाने सम्बन्धी कार्य भी जनसंपर्क अधिकारी द्वारा किये जाते है। जनसंपर्क निदेशालय से संबंधित कार्यो को भी विभाग के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा संपादित किये जाते है।

(ढ) मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ में राज्य स्तरीय स्मार्ट राज कॉल सेन्टर, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, राजस्थान संपर्क पोर्टल/सीएम हैल्पलाईन 181/सुगम समाधान मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त ऑफलाइन प्रकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील, जन अभियोग

निराकरण विभाग से प्राप्त प्रकरण, जनसुनवाई प्रकरण, विभागीय अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण/ दौरे/रात्रि विश्राम के लक्ष्य उपलब्धियां हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्मित ट्यूर (टाईम्स) वेब पोर्टल, प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त प्रकरण आदि की मॉनिट्रिंग का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। समय–समय पर उक्त कार्यो की उदासीनता बरतने पर सम्बन्धित नगरीय निकायों के उत्तरदायी अधिकारियों/ कार्मिको के विरूद्ध समक्ष कार्यवाही/ शास्ती/ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत निदेशालय के विरूद्ध प्रथम अपील व राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नगर निगमों के विरूद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (आरटीपीपी एक्ट) के तहत् द्वितीय अपील तथा प्रमुख शासन सचिव समक्ष प्रस्तुत होने वास्ते समस्त प्रकार के परिवाद, निगरानी, अपीलों की सुनवाई करवाकर प्रकरण का निस्तारण/निर्णय निर्देशानुसार कराया जाता हैं।

इस प्रकोष्ठ में संबन्धित में संधारित विभिन्न कार्यो के लिए पृथक–पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सीएम हैल्पलाईन 181 सुगम समाधान पोर्टल, ट्यूर (टाईम्स) सम्पर्क वेब पोर्टल, मुख्यमंत्री प्रकरण, जनसुनवाई, सरकार आपके द्वार, के लिए नोडल अधिकारी उप निदेशक(प्रशासन) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी, के लिए अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान सुनवाई का अधिकार के लिए निदेशक, सिंगल विन्डों क्लीयेरन्स सिस्टम, ई–सुविधा पोर्टल के लिए प्रभारी मॉनिट्रिंग नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। राजस्थान सम्पर्क, सुगम समाधान/लोक सेवा गारंटी के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय), नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं ई–गर्वनेन्स के लिए आईटी प्रकोष्ठ का पृथक से गठन किया जा चुका हैं जिसमें वर्तमान में सिस्टम एनालिस्ट(जे.डी.) एसीपी, प्रोग्रामर, एक कनिष्ठ लिपिक तथा सलाहकार नियुक्त हैं।

सी.एम. हैल्पलाईन 181 के लिए सी.एम. हैल्पलाईन प्रकोष्ठ का पृथक से गठन किया गया है जिनमें प्रभारी अधिकारी उप निदेशक(प्रशासन) तथा एसीपी/प्रोग्रामर/सलाहकार तथा समस्त नियन्त्रण के लिए प्रभारी अधिकारी मॉनिट्रिंग को नियुक्त किया गया है।

<u>उपलब्धियाँ</u> :–

- विभाग द्वारा समस्त नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 21,000 हजार पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन लॉटरी सॉफ्टवेयर विकसित कराया जाकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित की जाकर नियुक्ति पत्र भी जारी किये गये।
- विभाग द्वारा DAY NULM के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार व नियोजन के लाभार्थियो से फीडबेक हेतु राज्य स्तरीय DAY NULM कॉल सेन्टर स्थापित किया गया

जिससे लाभार्थियों से फीडबैक के साथ–साथ पारदर्शिता हेतु मॉनिट्रिंग प्रारंम्भ की गई हैं।

- LGD (Local Govt. Directory) पोर्टल पर विभाग द्वारा वांछित डाटा अपलोड किया जा चुका हैं।
- सैन्ट्रलॉइज वेबसाइट (REAMS) पर विभाग द्वारा वांछित डाटा अधिनियम, नियम, अधिसूचना, परिपत्र इत्यादि अपलोड किये जा चुके हैं।
- विभागीय वेबसाईट **lsg.urban.rajasthan.gov.in** पर अपडेटड सूचनाएं निरन्तर अपलोड की जा रही हैं।
- नगरीय निकायों की वेबसाईट पृथक से बनवायी गई है अब तक 191 नगरीय निकायों की निकायवार वेबसाईट बनवायी जा चुकी हैं। इन वेब साईट पर भी निकायों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं अपडेट की जा रही हैं।
- स्वायत्त शासन विभाग भवन को ओएफसी नेट कनेक्टीविटी युक्त करवाया जाकर वाई–फाई युक्त किया गया हैं।
- स्वायत्त शासन विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को आईपी फोन से जोड़ा जा चुका हैं समस्त 191 नगरीय निकायों को भी आई.पी. फोन से जोडा जाने का कार्य प्रक्रियाधीन हैं।
- समस्त नगरीय निकायों के राज्य सरकार के अधीन Gov.in ई–मेल बनवाकर उपलब्ध करवाये गए।
- समस्त नगरीय निकायों को एसएसओ आईडी बनवाकर उपलब्ध करवाई गयी।
- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जैम पोर्टल (ई–मार्केट) पर सभी नगरीय निकायों को जोड़ा जाकर सामान क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी हैं।
- अन्नपूर्णा रसोई परियोजना का सेन्ट्रलाईज कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाकर दैनिक मॉनिट्रिंग की जा रही हैं। जिसके लिए सम्बन्धित संस्था का प्रतिनिधी लगाया गया है।
- SPPP पोर्टल पर नगरीय निकायों का उपापन संस्था के रूप में प्रथम रजिस्ट्रेशन का कार्य भी किया जाता हैं।
- स्वायत्त शासन विभाग भवन में सॉफ्ट वीसी की सुविधा प्रारम्भ की जाकर समस्त नगरीय निकायों को सॉफ्ट वीसी से जोडा गया।
- स्मार्टराज कॉल सेन्टर राज्य स्तरीय विभागीय शिकायत केन्द्र की स्थापना कर कुल 23150 जनपरिवाद दर्ज किये गए जिसमें से कुल 18517 का निस्तारण किया गया। कॉल सेन्टर के द्वारा कुल 2,77,906 आमजन को उनके द्वारा चाही गई विभागीय जानकारियां उपलब्ध करवाई गई।
- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सीएम हैल्पलाईन पर कुल 1,45577 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से कुल 120575 प्रकरण का निस्तारण किया गया तथा कुल 25002 प्रकरण निकाय स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं।

- स्मार्टराज परियोजना के अन्तर्गत ऑनलाईन सेवाए प्रदान करने के लिए सभी नगरीय निकायों में चरणबद्ध प्रोपर्टी सर्वे तथा ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का अनुबंधित फर्म द्वारा निर्माण किया गया हैं। जिसमें से भवन निर्माण स्वीकृत, फायर एनओसी ऑनलाईन सेवाएं नगर निगमों में प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं। उक्त परियोजना के तहत अब तक 22 मॉड्युल्स तैयार किये जाकर क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(ड) नगर नियोजन प्रकोष्ठ

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में नगरीय निकायों के नगर नियोजन संबंधी कार्य के निष्पादन हेतु नगर नियोजन प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी अति. मुख्य नगर नियोजक है।

नगर नियोजन प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों से राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित नगर नियोजन संबंधी तकनीकी प्रकरणों यथा भू–उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण स्वीकृति, कृषि भूमि नियमन, योजना मानचित्र अनुमोदन, उपविभाजन/पुनर्गठन एवं भवन विनियम संबंधी प्रकरणों आदि में तकनीकी परीक्षण व राय दिया जाना है।

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की समस्त 191 नगरीय निकाय के मास्टर प्लान तैयार किये जा चुके है। केन्द्र सरकार की अमृत योजना के दिशा–निर्देश के तहत् नगर नियोजन प्रकोष्ठ, निदेशालय द्वारा राज्य के 160 शहरों के जी.आई.एस. आधारित बेसमैप तैयार किये जा चुके है व शेष निकायों के बेसमैप प्रक्रियाधीन है। जी.आई.एस. आधारित बेसमैप तैयार करने के पश्चात् बेसमैप पर attribute data सुपरइम्पोज करने का कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है। निदेशालय में स्थापित नगर नियोजन प्रकोष्ठ के निर्देशन समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के जोनल डवलपमेंट प्लान/सेक्टर डवलपमेंट प्लान निकायेां के माध्यम से तैयार किये जाकर अनुमोदन का कार्य किया जा रहा है।

आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, केन्द्र सरकार की परियोजना HRIDAY के अंतर्गत अजमेर–पुष्कर, शहर में ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण हेतु 5 परियोजनाऐं परिलक्षित की गई थी जिनके सभी कार्य पूर्ण हो चुके है। जिनका निरीक्षण इस प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित Heritage Assets के संरक्षण एवं उचित उपयोग हेतु समस्त Heritage Assets की GIS आधारित mapping व Heritage Management Plans तैयार किये जा रहे है।

राज्य की नगरीय निकायेां में नगर नियोजन प्रकोष्ठ के सशक्तीरकण हेतु 18 नगर नियोजन सहायकों एवं 20 वरिष्ठ प्रारूपकार की भर्ती की जा चुकी है। एवं आगामी वर्षो में राज्य के

समस्त नगरीय निकायों में नगर नियोजन से संबंधित कार्यो को सुचारू एवं तकनीकी राय प्रदान करने हेतु प्रत्येक निकाय में नगर नियोजन शाखा का सृजन की आवश्यकता के परिपेक्ष में भारत सरकार के Transformation Urban Reform के तहत Professionalizing Municipal Cadre की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चूके है। नगर नियेाजकों के पद सृजित कर भर्ती की कार्यवाही की जावेंगी।

(ण) जलापूर्ति प्रकोष्ठ

संविधान के 74 वें संशोधन व राज्य मंत्रीमण्डल ने अपनी आज्ञा सं. 204/2012, दिनांक 04 अक्टूबर 2012 द्वारा 8 शहरों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू, एव ंनोखा की शहरी पेयजल का कार्य जन स्वा.अभि.विभाग से संबंधित नगर निकायों को हस्तानान्तरित किये जाने संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिनकी अनुपालना में उक्त 08 शहरों की पेयजल व्यवस्था का कार्य संबंधित नगर निकायों को हस्तानान्तरित कर इनका संधारण उनके द्वारा किया जा रहा है। उक्त आज्ञा के अनुसार स्थानीय निकायों को पेयजल योजनाओं का हस्तांतरण वर्टिकल डिवोल्यूशन के अन्तर्गत किया जा कर इन शहरी योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन,प्रशासनिक समन्वय तथा वित्तीय व्यवस्था स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से ही की जानी है। इस हेतु मंत्रीमण्डल की उक्त आज्ञा की अनुपालना में स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर एक पीएचई प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस प्रकोष्ठ में अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकरी के अधीन स्टाफ (एक अधीक्षण अभियंता चार अधिशाषी अभियंता दस सहायक अभियंता, एक लेखाकार, दो कनिष्ट लिपिक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को शामिल किया गया है। वर्तमान मे हस्तानान्तरित आठ शहरों यथा श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू एव ंनोखा की शहरी पेयजल योजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी, मार्गदर्शन, प्रशासनिक समन्वय तथा वित्तीय व्यवस्था का कार्य स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। नगर परिषद डूंगरपुर क्षेत्र की जल आपूर्ति का हस्तांतरण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से नगर परिषद डूंगरपुर को किया जा रहा है। पीएचई द्वारा इन आठ नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत पेयजल सवर्धन के नवीन प्रस्तावों की जांच एवं उनके अनुमोदन करने का कार्य किया जा रहा है।

(य) सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (सीएमएआर) :–

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान (राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958) के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है। यह संस्था निकायों द्वारा प्रदत्त सदस्यता शुल्क के आधार पर कार्य करती है। यह संस्था USAID, US-AEP & ICMA के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों को उनके कार्य बेहतर ढ़ंग से करने हेतु प्रशिक्षण तथा विभागीय कार्यशालायें आयोजित कराती हैं

तथा इनमें समन्वय स्थापित करती है। इसके अलावा संस्था नगर निकायों द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्यों का आलेखन कर स्थानीय एवं देश विदेश के नगर निकायों में आदान–प्रदान करती है। संस्था द्वारा एक वेबसाईट का संचालन किया जा रहा है। जिसका वेब एड्रेस–www.cmar-india.org है, संस्था द्वारा अन्य राज्यों व देशों के शहरी निकायों के प्रतिनिधियों का शैक्षणिक भ्रमण, कार्यशाला, सेमीनार व पारस्परिक अध्ययन आदि का आयोजन करवाया जाता है। CMAR द्वारा मासिक ई–न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जाता है। सीएमएआर द्वारा निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में एक पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन एवं क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान के समन्वयन से अनेकानेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एवं संभागवार कार्यशालायें व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अनेक गैर सरकारी व अर्न्तराष्ट्रीय स्तरीय संस्थान जैसे NIUA, BMGF, CFAR, SMS Envocare, ICLEI South Asia, Janaagraha, CUTS International, CDD, ISPER आदि सीएमएआर के सहयोग व समन्वयन से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम व Exposure Visit आयोजित कर चुके है। जिनके द्वारा नगरीय निकाय के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को देश व राज्यों में हो रहे विभिन्न नवाचारों (Best Practices) से अवगत कराया गया। सीएमएआर को FSSM (मल गाद प्रबन्धन) हेतु NIUA एवं BMGF द्वारा राज्य प्रतिनिधि के रूप में मलेशिया 07 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।